

09-09-2014

आरोपी हंसलाल की ओर से अधिवक्ता श्री पी०एन०शुक्ला द्वारा उपस्थित होकर एक आवेदन पत्र अंतर्गत प्रकरण आज सुनवायी पर लिये जाने बाबत पेश किया गया। आवेदन पत्र पर सुना गया। बाद विचार आवेदन स्वीकार कर सुनवायी में लिया गया।

राज्य द्वारा ए०डी०पी०ओ०

आरोपी द्वारा श्री पी०एन०शुक्ला अधिवक्ता।

आरोपी की ओर से अधिवक्ता श्री पी०एन०शुक्ला ने धारा-317 द.प्र.सं. का आवेदन पेश किया, बाद विचार स्वीकार।

आरोपी एवं फरियादिया पारबती की ओर से अधिवक्ता श्री पी०एन०शुक्ला द्वारा एक राजीनामा आवेदन अंतर्गत धारा-320 दं.प्र.सं. का हस्ताक्षरित कर पेश कर व्यक्त किया गया है। प्रति ए.डी.पी.ओ. को प्रदान की गई।

फरियादी/आहत परबतबाई स्वतः उपस्थित। उसकी पहचान श्री पी०एन०शुक्ला अधिवक्ता ने की। पहचान में संदेह नहीं है। प्रार्थी/आहत से पूछे जाने पर उसने स्वैच्छया पूर्वक राजीनामा करना व्यक्त किया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि आरोपी के विरुद्ध धारा-294, 323, 506 भाग-एक भादंवि के दण्डनीय अपराध में आरक्षी केन्द्र बिरसा द्वारा अभियोग पत्र पेश किया गया है। न्यायालय द्वारा आरोपी के विरुद्ध उक्त धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित किया गया है। आरोपी द्वारा कारित अपराध अंतर्गत धारा-294, 323, 506 भाग एक भादंवि का अपराध न्यायालय की अनुमति से शमनीय व राजीनामा योग्य है। राजीनामा आवेदन में व्यक्त किया गया है कि अब संबंध मधुर हो चुके हैं तथा आरोपी उसके गांव के होकर आपस में सगे रिश्तेदार एवं एक ही जाति समाज के हैं तथा उसने आरोपी से बिना डर, दबाव, लालच के स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा कर लिया है। उभयपक्ष के संबंध भविष्य में भी मधुर बने रहें इसलिए फरियादी/आहत परबतबाई को आरोपी से राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रकरण में उभयपक्ष राजीनामा करने में सक्षम हैं। राजीनामा करने में कोई विधिक रुकावट नहीं है। प्रस्तुत राजीनामा आवेदन विधि विरुद्ध न होने से स्वीकार किया जाता है। फलतः आरोपी हंसलाल को धारा-294, 323, 506 भाग-एक भा.दं.वि. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति एक बांस की लकड़ी का डंडा है जो मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अविलम्ब अभिलेखागार में जमा किया जावे।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)